क्रमांक 154 / बो.प्र. / नि.स. / 2020 /

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, नवा रायपुर

दिनांक /09/2020

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री डी.के. सोनी, अधिवक्ता एवं RTI एक्टिविस्ट नावापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	— विरुद्ध —	श्री एल. बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर

अपील प्रकरण क्रं. 154

आदेश दिनांक 29.09.2020

1. यथा निर्धारित तिथि आज दिनांक 29.09.2020 को प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई में अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी, अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए एवं जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह के स्थान पर एवजी जनसूचना अधिकारी, श्री ओ.पी. चंदेल, कार्यपालन अभियंता सुनवाई में उपस्थित हुए।

प्रकरण का अवलोकन करने एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के आधार पर पाया गया कि अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी के पत्र क्रं. 2648/RTI/7/2020, दिनांक 21.07.2020 के द्वारा श्री सी.एल. सिंह एवं श्री आर.एन. दिव्य के विरूद्ध जांच उपरान्त कृत कार्यवाही के संबंध में जनसूचना अधिकारी से तीन बिन्दुओं में जानकारी मांगी गई थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस के भीतर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी के पत्र दिनांक 28.8.2020 के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि इस कार्यालय को दिनांक 2.9.2020 को प्राप्त हुआ।

जनसूचना अधिकारी के नस्ती के अवलोकन में पाया गया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 21.07.2020, जनसूचना अधिकारी को दिनांक 10.8.2020 को प्राप्त हुआ। जनसूचना अधिकारी के पत्र क्रं. 7671, दिनांक 25.8.2020 के द्वारा अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी को नकल शुल्क रू. 224/– जमा करने हेतु पंजीकृत डाक से सूचित किया गया। स्पष्ट है कि आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर ही कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा नकल शुल्क जमा करने हेतु पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

चूँकि अपीलार्थी द्वारा वांछित नकल शुल्क जमा नहीं किया गया इसलिए जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को इस सुझाव के साथ कि यदि वे चाहें तो वांछित नकल शुल्क जमा कर जानकारी जनसूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं, जनसूचना अधिकारी के पत्र क्रं. 7671 दिनांक 28.8.2020 की छायाप्रति अपीलार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए प्रकरण निराकृत किया जाता है।

हस्ता/–

(परमानन्द जांगड़े)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)

एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, नया रायपुर

पृ. क्रमांक 154 / बो.प्र. / नि.स. / 2020 / 8963 दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. श्री डी.के. सोनी, अधिवक्ता एवं RTI एक्टिविस्ट नावापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

544
16/10/20

7/x/20

(परमानन्द जांगड़े)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर